YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय उज्जैन के मालखाना अनुभाग में आपराधिक प्रकरणों में जप्तशुदा लगभग 51 दो पहिया वाहनों जिसका आफसेट मूल्य सूची के सम्मुख अंकित है, के विक्रय हेतु **नीलामी दिनांक** 26.10.21 **को प्रातः 11.00. बजे खुली निविदा** के माध्यम से नीलाम किया जाना है।

उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के नाम से देय राशि रूपये 50,000/– का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर, नीलामी में भाग लिया जा सकता है नीलामी के संबंध में वाहनों का अवलोकन व अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस/समय में मालखाना नाजिर, मालखाना अनुभाग, जिला न्यायालय, उज्जैन से प्राप्त की जा सकती है एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकारिक **वेबसाइट (www.mphighcourt.nic.in)** एवं आयुक्त जनसंपर्क की वेबसाईट dpradvt पर भी देखी जा सकती है।

उपरोक्त जप्तशुदा वाहनों की नीलामी संबंधी कार्यवाही की शर्तें निम्नानुसार हैः–

निविदा शर्तेंः–

1. मालखाना अनुभाग में आपराधिक प्रकरणों में जप्तशुदा लगभग 51 दो पहिया वाहनों का **पृथक–पृथक न्यूनतम अपलेखन मूल्य संलग्न सूची** में उक्त वाहन के सम्मुख अंकित अनुसार (शासकीय बोली) नियत है।

2. उपरोक्त जप्तशुदा वाहनों की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि के रूप में रूपये 50,000/– का बैंक ड्राफ्ट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के नाम से देय हो, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।

3. जप्तशुदा वाहनों का विवरण एवं उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन के कार्यालय में सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी, जिन निविदाकारों को पृथक से नीलामी संबंधी वाहनों के विकय की प्रतिलिपि प्राप्त करनी हैं, वे कार्यालय में रूपये 100/– जमा करवाकर सूची प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। यह राशि वापसी योग्य नहीं रहेगी तथा नीलामी कार्य में व्यय की जावेगी।

4. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली/स्वीकृत की गई पूरी राशि जमा करने के पश्चात् अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट लौटाया जावेगा।

726/[illegible]/mdm

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

4. सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने तथा नीलामी के आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से रख लेने अथवा निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृति/ अस्वीकृति का सम्पूर्ण अधिकार सर्वथा मुद्देमाल नीलामी समिति कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, उज्जैन को प्राप्त होगा।

5. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।

6. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति, नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् नीलामी वाहन को क्रेता को प्रदान किया जावेगा।

7. जप्तशुदा वाहनों को अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के 07 (सात) दिवस के अंदर बोली की सम्पूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के नाम से जमाकर, सामग्री को स्वंय के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि, शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।

8. संबंधित जप्तशुदा वाहन जिला न्यायालय परिसर, उज्जैन में उपलब्ध है इस हेतु मालखाना नाजिर उज्जैन से संपर्क करें।

9. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर जप्तशुदा वाहनों को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में, नीलामी संबंधी सम्पूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गयी है, ऐसा माना जावेगा।

10. जप्तशुदा वाहनों के विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने पर क्रेता को उक्त वाहनों को स्वंय के व्यय पर यथास्थिति में जिला न्यायालय, उज्जैन से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा।

11. उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलीकरण स्थापना पर गठित वाहन नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रभारी अधिकारी,
मालखाना अनुभाग
वास्ते/ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन, म.प्र.

727/suman/mdm